

The Grette of India,

असाधारण EXTRAORDINARY

নাল II—ভাত 3—ত্য-ভাত (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

231] 231] नई दिल्ली, बुधनार, अगस्त 9, 1978/श्रावण 18, 1900 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1978/SRAVANA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससें कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

षेट्रीलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विमान)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 9 ग्रगस्त 1978

खार्॰ कार्॰ नि॰ 397.--(श्रं)केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) धिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

ेक्षिप्त नाम, विस्तार ग्रौर लागू होना

- 1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1978 है।
- 1.2 में राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 यें नियम बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारियों को श्रौर केन्द्रीय बरकार या राज्य सरकार के ऐसे सेवकों श्रौर श्रन्य उपकंमों के ऐसे पदशारियों को लागू होंगे, जो तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

परिभाषाएं

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
 - (क) "प्राधिकृत चिकिसीय परिचारक" से दिल्ली में या किसी ग्रन्य ऐसे स्थान पर, जहाँ बोर्ड का कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, एलोपेथी पद्धति का ऐसा रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ग्रामित्रेत है,

जिसे बोर्ड के कर्मचारियों ग्रौर उनके कुटुम्बों के ग्रन्य सदस्यों के उपचार के प्रयोजनार्थ बोर्ड में निथुक्त /पैनलित या इस प्रकार मान्यता दी है ।

- (ख) "ग्रस्पताल"——से कोई सरकारी या प्राइवेट ग्रस्पताल परि-चर्या-गृह ग्रभिप्रेत है।
- (ग) "गोर्ड"—से तेल उद्योग विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (घ) "चिकित्सीय परिचर्या"—से वह परिचर्या श्राभिन्नेत है, जो श्रस्पताल में या कर्मचारियों के निवास पर हो, जिसमें निवान के प्रयोजनार्थ परीक्षा की विक्वति विज्ञान संबंधी, जीवाणु-विज्ञान संबंधी एक्स चिकित्सात्मक या अध्य पद्धतियाँ सम्मिलित हैं, जो किसी अस्पताल में उपलक्ष्य हैं और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा श्रावश्यक समझी जाती हैं और विशेषज्ञ या श्रन्य चिकित्सीय परिचारक द्वारा श्रावश्यक प्रमाणित किया जाए और ऐसे विस्तार तक तथा ऐसी रीति में जैसी कि विशेषज्ञ या चिकित्सक श्रधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक श्रधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक श्रधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से परामर्थं करके, अवधारित करे;
- (अ) "बोर्ड का कर्मचारी"—से बोर्ड का कोई नियमित कर्मचारी तथा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कोई व्यक्ति प्रभिन्नेत है।
- (च) "रोगी"—से बोर्ड का कोई ऐसा कर्मचारी (जिसमें उसक कुटुम्ब के सदस्य भी सम्मिलित हैं) श्रभिप्रेत है, जिसे ये नियम लागू होते हैं ;

/78_1__1__

(695

- (छ) "अनुसूची"--से अनअनुजेय दवाइयों की वह अनुसूची अभि-प्रेत है जो, समय-समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय सेवा चिकित्सीय परिचर्या नियम, 1974 का अंश हैं;
- (ज) "उपचार"—से चिकित्सा ग्रीर शहय चिकित्सा संबंधी उन सभी सुविधाशों का प्रयोग ग्राभिप्रेत है जो उस ग्रस्पताल में उपलभ्य हैं, जिसमें ोगी का उपचार किया जाता शीर इसके ग्रांतर्गत निम्नीलिखत भी हैं :—
 - (i) एसी विकृति विज्ञान संबंधी, जीवाणुविज्ञान संबंधी, एक्स चिकित्सात्मक या अन्य पद्धतियों का उपयोग जसा प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यकं समझा जाए;
 - (ii) ऐसी ग्रौषधों, टीकों, सिरमों या ग्रन्य चिकित्सार्थं पदार्थों का प्रदाय जसे कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक अरोग्यलाभ के लिए या रोगों की हालत में गंभीर हास की रोकथाम के लिए लिखित में ग्रावश्यक प्रमाणित करें । किल्तु नीचे उल्लिखित मदों को छोड़कर, ग्रथांत् :—
 - (1) ऐसी निर्मितियाँ, जो श्रीपंध्याँ न ें किन्तु श्रनसूची में यथा विनिद्धि प्राथमिक रूप से खाद्य, टाँनिक, प्रसाधन निर्मितियाँ या निःसंकामक हैं; श्रीर
 - (2) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सूल्यवान दवाइयाँ, टाँनिक, रेचक और अन्य उत्तम और एकायत्त औषधि निमितियाँ, जिनके लिए समान चिकि-त्सीय सूल्य की दवाइयाँ उपलक्ष्य हैं।

टिप्पण-- 1 इंजेक्शन प्रयोजनों के लिए सभी औषधियाँ अनुनेय हैं। टिप्पण-- 2 बाजार से श्रौविधियों का का का ति समय कर्षवारी खारा संदत्त विकय कर प्रतिदेय हैं। बाहर से श्रौषिधियों का कय करने के लिये कर्मचारी द्वारा संदत्त पैकिंग श्रौर डाक-प्रभार प्रतिदेय नहीं हैं।

- (3) ऐसी वास सुविधा जिसकी व्यवस्था साधारणतया ग्रस्पताल में की जाती है मौर जो उसकी हैसियत के अनुकूल है ।
- टिप्पण-- सम्बद्ध कर्मचारी की हैसियत की बास सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में उच्चेतर वर्ग की वास सुविधा आवंटित की जा सकेगी, परन्तु यह तब जबिक यह अस्पताल के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जा सकती हो।
 - (ज्ञ) <u>"कुटुम्न"</u> से कर्मचारी की पत्नी/पति, आश्रित संतान (जिसमें सौतेली संतान भी तस्मिलित है) श्रौर पूर्णतः ग्राश्रित माता-पिता यभिशेत हैं।
- टिप्पण— महिला कर्मचारियों को इन नियमों के ग्रधीन चिकित्सीय रियायतों की प्रसुविधाएं प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या तो ग्रपने माता-पिता को या सास-ससुर को सम्मिलित करने का विकल्प प्राप्त है।
 - (अ) "ग्रध्यक्ष" ——से तेल उद्योग विकास बोर्ड का ग्रध्यक्ष ग्रिमिप्रेत है।

िचिकत्सीय परिचर्या

कर्मचारी का उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य प्राधिक्रत चिकित्सीय
 परिजारक द्वारा मुक्त चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा।

- ऐसी चिकित्सीय परिचर्या के लिए उसके द्वारा संदत्त किसी रह की इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का लिए प्रमाणपत्र पेश करने पर वोर्ड द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 4.1 कर्मचारी नियमानुसार डाक्टरों से उनके क्लिनिक पर पराम् करेंगे। किसी आपात स्थिति में डाक्टर की रोगी के निवास प बुलाया जा सकता है। डाक्टर की निवास पर बुलाने की आवश् कता किसी आपात स्थिति के कारण हुई, इस बात की उपच करने वाला डाक्टर प्रमाणित करेगा।
- 4.2 डाक्टर से उसके क्लिनिक पर परामर्श करने के लिए, संव वास्तविक परामर्थ कीस की, निम्नलिखित सीमाओं के अधीन रह हुए प्रतिपूर्ति नी जाएगी——

प्रथम परासर्थ 5 हर प्रात परामर्थ 3 हर प्रति परामर्थ

4.3 किसी प्रापात स्थिति में रोगी के निवास पर किसी डाक्टर । प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से परामर्श करने के लिए डाक्ट द्वारा यथा प्रभार्य सामान्य फीस कर्मचारी द्वारा सदेय होगी तथ डाक्टर द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रमाणपत देने पर निम्निलिंख सीमाग्रों तक उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी—

दिन के दौरान 10 रु० प्रति निरीक्षण (विजिट राबि के ौरान

(राह्नि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक) 20 रु० प्रति निरीप्त (विजिट)

विशेषज्ञ से परामर्श

- 5.1 यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की यह राय है कि रेंग का मामला ऐसी गम्भीर या विशेष प्रकृति का है कि उस प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से भिन्न किसी व्यक्ति ब्र चिकित्सीय परिचर्या की अमेक्षा है तो वह—
 - (क) रोगी को निकटतम विशेषज्ञ या अन्य निकित्सक अधिक के पास भेज सकेगा; या
 - (खं) यदि रोगी इतना अधिक वीमार है कि याद्वा नहीं कर सब है तो ऐसे विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सक अधिकारी रोगी की परिचर्या करने के लिए बुला सकेगा :
- 5.2 प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का लिखित प्रमाणपत्न पेश करने रोगी, यथास्थिति, विशेषत्त के क्लिनिक या रोगी के निवास स् को और वहाँ से यात्रा के लिए रोगी द्वारा संबत्त सवारी प्र की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।
- 5.3 विशेषज्ञ से परामश करने की फीस की प्रतिपूर्ति निस्निलि सीमाग्रों तक की जाएगी—
 - (1) विलिनिक पर 16 ए० प्रति निरीक्षण (विजि
 - (2) रोगी के निवास स्थान 20 ६० प्रति निरीक्षण (विजि
 - (3) राति के दौरान रोगी के 40 रु प्रति निरीक्षण (विजि निवास स्थान पर

टिप्पण— ऐसे कर्मचारियों को, जिनका बेतन प्रति मास 1600 ग्रीर उससे ग्रधिक है, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक कोई निर्देश प्राप्त किए विना विशेषज्ञों से सीधे परामर्थि का प्राधिकार प्राप्त है।

- 6.1. उपचार करने वाला डाक्टर सामान्यतः दवाइयाँ विहित करेगा ग्रौर कर्मचारी उन्हें ग्रीविध विकेताग्रों से ग्रिधमानतः नई दिल्ली के सुपर बाजार जैसे सहकारी ग्रीकिरणों द्वारा संचालित ग्रौविध-विकेताग्रों से कथ करेगा । ग्रसाधारण मामलों में उपचार करने वाला डाक्टर किसी एक ग्रवसर पर 5 ६० से ग्रनिधक लागत की दवाइयाँ दे सकेना ।
- टिप्पण-- यह उपबन्ध तुरन्त चिकित्सीय सहायता की श्रपेक्षा करने वाले मामलों में अध्यक्ष द्वारा श्रपने विवेकानुसार शिथिन किया जा सकेगा ।
- 6.2 इंजेक्शन लगाने की फीस की प्रतिपूर्ति (दवाइयों की लागत से भिन्न जिसकी प्रतिपूर्ति पथक से की जाएगी) कमँचारियों की सभी श्रेणियों के लिए निस्नलिखित लीमाश्रों तक की जाएगी।
 - (क) म्रन्तः शिरां इंजेक्शन 3 रु० प्रति इंजेक्शन
 - (ख) अन्तः पेणी ग्रीर अवत्वक् इंजेक्शन 2 ६० प्रति इंजेक्शन
- 6.3 मरहम-पट्टी के प्रभारों को यदि उपचार करने वाले डायटर द्वारा प्रथकतः प्रभारित किए जाएं तो उसका प्रतिपूर्ति प्रति मरहम-पट्टी 1.50 रु० की सीमा तक की जाएगी।

भ्रस्पताल में भर्ती

- 7.1 कर्मचारी ग्रौर उनके कुटुम्ब के सदस्य सरकारी ग्रस्पतालों भौर स्था-नीय निकायों नगर निगम ग्रादि द्वारा चलाए गए ग्रस्पताल में जा सकेंगे ग्रौर ऐसे उपचार में उसके द्वारा संदत्त रकम की वोर्ड द्वारा उसे ग्रतिपूर्ति इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा लिखित प्रमाणपत्न देने पर कर दी जाएगी।
- 7.2 कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य प्राइवेट अस्पतालों/पिचर्या गृहों में भी दाखिल हो सकता है किन्तु कक्ष-भाड़ा चिकित्सीय परिचर्बा, परिचर्बा ग्रीपिधयां जिसमें इंजेक्शन ग्रीर मरहम पट्टी सम्मिलित है के प्रभारों के लिए उसके द्वारा सदत्त किसी रकम की, बोर्ड द्वारा उसे प्रतिपूर्ति इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा लिखित प्रमाणपत देने पर वास्तविक खर्च के बराबर किन्तु जो निम्मिलिखत दरों से ग्रिधिक न हो की जाएगी।

बेतन रेंज	कक्ष भाड़ा	प्रसूंति/प्रसव मरहम-पट्टी/	
		फीस')	इंजेक्शन प्रभार
401६ • से 1000 ६ • तन	4 0₹ ০	450.₹●	श्रधीन विहित
1001 र • से 1500 र • तक	50₹0	500 €0	दरों फ्र
1501 र ॰ से 2000 र ॰ तक	60 €∘	550₹∘	
2001 ए० श्रौर उससे श्रधिक	100₹∘	o₹008	

7.3 मल्य मापरेशनों एक्स-रे प्रयोगभाला मौर वैकृत परीक्षणों के लिए फ्रितिपूर्ति वास्तिविक लागत के बराबर किन्तु जो चिकित्सीय संस्थान अस्पताल (ग्रिंखिल भारतीय मार्युविज्ञान संस्थान) द्वारा नियत दशों से म्रिधिक न हो मनुज्ञात की जाएगी।

ज्यांक के तिर्देश के किया है। जिस्सी किया के उपनिष्ट के विश्वास के विश्वास के किया है।

- 8.1 यदि प्राधिकृत जिकित्सीय परिचारक की राय है के यथा जिल अस्पताल के समाव या दूर होने के कारण या रुग्णावस्था की गंभीरता के कारण कमेंचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का उपचार, जैसा नियम 7.1 में अपबंधित है नहीं किया जा सकता तो यथास्थित कमेंचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य अपने निवास पर हो उपचार करा सकता है।
- 8.2 ऊपर नियम 8.1 के अधीन अपने निनास स्थान पर उपचार कराने वाला कर्मचारी ऐसे उपचार के लिए अपने द्वारा उपगत खर्च की बाबत एसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ऐसे उपचार के खर्च के बराबर हो जिसे निश्चुल्क प्राप्त करने का हकदार वह इन नियमों के अधीन उस दशा में होता जब उसका उपचार उसके निवास-स्थान पर न हुआ होता।
- 8.3 उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ चिकित्सीय परिचर्या, परिचर्या, परिचर्या, जीषधियां, जिसमें इंजेक्शन और मरहम-पट्टी सम्मलिति हैं, के प्रभारों को हिसाब में लिया जाएगा।

रक्ताधान

- 9. जहां रोगी को रक्त देना म्रावण्यक ो जाता है वहां उसकी लागत की प्रतिपूर्ति उपचार करने वाले डाक्टर द्वारा सम्यकतः सत्यापित उसकी रसीद देने पर कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए, निम्न-लिखित सीमाग्रों के प्रधीन रहते हुए, की जाएगी——
 - (क) रक्त ग्रारं एच० पाजिटिव 75 रु० 250 सी सी की प्रति यूनिट के लिए
 - (ख) रक्त ग्रार० एंच० नेगेटिव 200 रु० 250 सी सी की प्रति यूनिट के लिए

दन्त उपचार

- 10.1 दन्त उपचार चाहे उसे प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह से ही कराया जाता है, निम्नलिखित दशास्त्रों के सिवाय, प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा :---
 - (क) निष्कर्षण
 - (ख) पर्यटीकरण ग्रीर मस्डा उपचार
 - (ग) दान्तों का भरना (कृतिम दांत की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी)
 - (घ) मूल निलका उपचार।
- 10.2 उपर्युक्त उपचार के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च के बराबर, किन्तु जो चिकित्सीय संस्थान अस्पताल (ग्रखिल भारतीय ग्रायिकान संस्थान) द्वारा नियमित दरों से ग्रधिक न हो, की जाएगी।
- 10.3 परामर्श फीस की प्रतिपूर्ति निम्न रूप में की जाएगी :--

प्रथम परवात्वर्ती|

10 ह०]

5 ह

ऐनक के लिए नेल दृष्टि का परीक्षण

11.1 कर्मचारी (किन्तु उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य नहीं) हर तीच वर्षों में एक बार ऐनक के लिए नेत्रबृष्टि के परीक्षण की सुविधायों के लिए हकदार होगा। इसके लिए प्रभार की प्रतिपूर्ति वास्तविक बर्च के नरांवर, किन्तु जो 16 है से स्रधिक न हो, की जाएगी।

11.2 नर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य नेत रोगों के प्राइवेट रिजस्ट्रीकृत चिकित्सी व्यवसायी से नेत रोगों का उपचार करने के लिए हकदार होगा। कर्मचारी द्वारा उपगत प्रभार के प्रतिपूर्ति की अनुज्ञा उन नियमों के अनुसार दी जाएगी जो अन्य रोगों की दशा में साधारण चिकित्सीय परिचर्या के लिए है।

मिसिल सं० 7(2)/78-(पा॰एफ॰डी॰)

एस० एल० खोसला, संयुक्त सचिव ग्रौर विक्त सलाहकार

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND **FERTILIZERS**

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1978 G.S.R. No. 397(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

Short title, extent and application.

- These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees (Medical Attendance) Rules, 1978.
- They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- These ruls shall apply to all regular employees of the Board and to those CentralGovernment or State Government servants and the officials of other undertakings who are on deputation with Oil Industry Development Board.

Definitions

"medical

(d)

- In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) "authorised medical attendant" means any Registered Medical Practitioner of the allopathic system in Delhi or any other place, where the employee of the Board or any member of his family falls ill, appointed/empanelled or so recognised by the Board for purpose of the treatment of the employees of the Board and other members of their families.
 - -means any Government or private "hospital" hospital/nursing home;
 - means the Oil Industry Deve-"Board" lopment Board; -means attendance in hospital or
 - at the residence of the emploattendance" yees, including such patholoradiogical, bacteriological, logical or other methods of of examination for the purpose of diagnosis as are available in any hospital and are considered necessary by the authorised medical attendant and consultations with the specialist or other medical officer as the authorised medical attendant certifies to be neces-

sary, to such extent and in such

manner as the specialist or medical officer may in consul-

tation with the authorised medical attendant determine;

"employee of the Board"

-means any regular employee of perthe Board as well as the sons on deputation with the Board;

"patient"

—means any employee of the Board (including the members of his family) to whom these rules apply;

"Schedule"

—means the Schedule of inadmissible medicines forming part of Central Services Medical Attendance Rules, 1974, as amended from time to time;

(h) "treatment"

- -means the use of all medical and surgical facilities available at the hospital in which the patient is treated and includes :-
 - (i) the employment of such pathological/bacteriological, radiological or other methods as are considered necessary by the authorised medical attendant;
 - (ii) The supply of such medicines, vaccines, sera or other therepeutic substances as the authorised medical attendant may certify in writing to be essential for the recovery or for the prevention of serious deterioration in the condition of the patient except the mentioned below items namely :
 - which are (1) preparations not medicines but are primarily foods, tonics, toilet preparations or disinfactants as specified in schedule, and
 - (2) expensive drugs, tonics, laxatives and other elegant and proprietory preparations as specified in schedule for which drugs of equal thereafpeutic value are available.
- Note-1. All medicines for injection purposes are admissible.
- Note-2. Sales Tax paid by the employee, while purchasing the medicines from the market is refundable, Packing and postage charges paid by the employee for purchasing medicines from out stations are not refundable.
 - (iii) such accommodation as is ordinarily provided in the hospital and is suited to his status.
- Note—In the event of accommodation to the status of the employee concerned being not available accommodation of a higher class may be allott-

Note-

-means wife/husband, dependant children (including step-children) and wholly dependent parents of the employee.

Note— Female employees have the choice to include either her parents or her parents-in-law for the purpose of availing benefits of medical concessions under these rules.

(j) "Chairman" -means the Chairman of the Oil Industry Development Board.

Medical Attendance

An employee or any member of his family shall be entitled, free of charge, to medical attendance by the authorised medical attendant. Any amount paid by him on account of such medical attendance shall, on production of a certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf shall be reimbursed to him by the Board.

Employees will as a rule consult the doctors at their clinic, except in an emergency when the doctor can be called at the patient's residence whether a call at the residence was necessitated by emergency will be certified by the attending doctor.

4.2 For consulting the doctor at his clinic, actual consultation fee paid will be reimbursed subject to the following ceilings.

First consultation

Rs. 5/-

Subsequent three consultations

Rs. 3/- per consultation

For consultation with a doctor or authorised medical attendant at the patients residence in an emergency, usual fee as charged by the doctor will be payable by the employee and reimbursement will be made upto the following ceilings on production of certificate duly signed by the doctor.

During day

Rs. 10 per visit.

During night (10 P.M. to

Rs. 20 per visit.

6 A.M.)

Consultation with Specialist

If the authorised medical attendant is of opinion that the case of a patient is of such a serious or special nature as to require medical attendance by person other than himself he may-

(a) send the patient to the nearest specialist or other medical officer; or

(b) if the patient is too ill to travel, summon such specialist or other medical officer to attend up on the patient;

On production of a certificate in writing by the authorised medical attendant the patient will be entitled reimbursement of conveyance charges paid by the patient for the journey to and from the clinic of the specialist or the residence of the patient as the case may be.

Fees for consultation with a specialist will be reimbursed upto the following ceiling limits.

(1) At clinic

Rs. 16/- per visit.

(2) Patient's residence

Rs. 20/- per visit.

Patient's residence duirng night

Rs. 40/- per visit.

494 GI/78-2

5 2

lists direct without any reference from the Authorised Medical Attendants. -2. Employees in receipt of pay below Rs. 1600-/

-1. Employees in receipt of pay of Rs. 1600/- P.M.

and above are authorised to consult the specia-

will ordinarily consult the specialists only on a reference from Authorised Medical Attendants. However, where an employee or a member of his family has been under the treatment for not less than 15 days and the ailment has not responded to the treatment given by authorised medical attendant the employee may in that event consult the specialist even without any reference from the authorised medical attendant.

6.1 The attending doctor will normally prescribe medicines and the employee will purchase the same from chemists, preferably run by cooperative agencies like Super Bazar in New Delhi. In exceptional cases, the attending doctor may supply medicines costing not more than Rs. 5/- on any one occasion.

This provision may be relaxed by the Chairman at his discretion in cases requiring urgent medi-

6.2 Fees for administering injections (other than the cost of medicines which will be reimbursed separately) will be reimbursed upto the following ceilings for all grades of employees :-

(a) Intra-venous injections

Rs. 3/- per injection

(b) Intra muscular and subcutaneous injections Rs. 2/- per injection

6.3 Dressing charges, if separately charged by the attending doctor, will be reimbursed upto the ceiling limit of Rs. 1.5 per dressing.

Hospitalisation

7.1 Employee and family members may go to Government Hospitals and the hospital run by local bodies, municipal corporation etc., and any amount paid by him on account of such treatment shall, on production of certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf, be reimbursed to him by the Board.

7.2 An employee or any member of his family may also seek admission in private hospitals/nursing homes but any amount paid by him on account of charges for room rent, medical attendance, nursing, medicines including injectibles and dressings shall, on production of certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf, be reimbursed to him by the Board at actuals but not exceeding the following rates :-

Pay Range upto	Room Rent	Maternity (confine- ment fee)	Dressing/ injection charges
upto Rs. 400/- Rs. 401 to Rs. 1000/- Rs. 1001 to Rs. 1500/- Rs. 1501 to Rs. 2000/- Rs. 2001 and above	Rs. 25/- Rs. 40/- Rs. 50/- Rs. 60/- Rs. 100/-	Rs. 350/- Rs. 450/- Rs. 500/- Rs. 550/- Rs. 600/-	At rates prescribed under rule 6

For surgical operations X-rays, Laboratory and pathological tests, reimbursement will be allowed at actuals but not exceeding the rates fixed by the Medical Institute Hospital (A.I.I.M.S.)

Treatment at Residence

- 8.1 If the authorised medical attendant is of opinion that owing to the absence of remoteness of suitable hospital or to the severity of the illness, an employee or any members of his family can not be given treatment as provided in rule 7.1 the employee or any member of his family, as the case may be, may receive treatment at his residence. ,
- An employee receiving treatment at his residence under rule 8.1 above shall be entitled to receive towards the cost of such treatment incurred by him a sum equivalent of the cost of such treatment as he would have been entitled to receive under these rules if he had not been treated at his residence.
- 8.3 For the purpose of reimbursement of cost of treatment, the charges for medical attendance, nursing, medicines including injectibles and dressing shall be taken into account.

Blood Transfusion

- Where it becomes necessary to give blood to the patient cost thereof will be reimbursed on production of the receipt for the same duly verified by the attending doctor subject to following ceilings for all grades of employees

 - (a) Blood R.H. Positive Rs. 75/- per unit of 250 cc
- (b) Blood R.H. Negative Rs 200/- per unit of 250 cc

Dental Treatment

9.006

rigarat di Statut

Dental treatment even when it is obtained under the advice of authorised medical attendant shall not be reimbursible except in the following cases:-

 $\frac{(5)}{(G_{i})}\cdot \frac{G_{i}}{G_{i}}$

44.

Sec.

1.300 - 160

- (a) Extraction
- (b) Scaling and gum treatment
- (c) Filling of teeth (cost of denture will not be reimbursed)
- (d) Root canal treatment.
- 10.2 Charges for the above treatment shall be reimbursed at actuals but not exceeding the rates fixed by the Medical Institute Hospital (All India Institute of Medical Sciences.
- 10.3 Consultation fee shall be reimbursed as under :-

First

Rs. 10/-

Subsequent:

Rs. 5/-

Testing of eyesight for glasses.

- 11.1 An employee (but no member of his family) shall be entitled to facilities for testing of eyesight for glasses once in every three years. Charges for this shall be reimbursed at actuals but not exceeding Rs. 16/-.
- 11.2 An employee or any member of his family shall be entitled to treatment of eye diseases from a private registered medical practioner of eye diseases. Reintursement of charges incurred by an employee shall be allowed as per rules for the general medical attendance in case of $(\alpha, \lambda, -1) \alpha = (\alpha + \beta, -\gamma \gamma) \gamma_{\alpha}$ other diseases.

[File No. 7(2)/78-PFD)

S.L. KHOSLA.

Joint Secretary & Financial Adviser,

经自己贷款 化压制压力

the foregoing the second control of the property of the second control of the second con

De Brothman Company of the part of the

or makes a section of the same as a contract of games. the termination position in the proof of the more state of the Server and the control of the server of the

But But the state of County who is a county our stay.

1 180 00